भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 52

जिसका उत्तर 28.11.2024 को दिया जाना है

ईपीसी मोड के तहत सड़कों की गुणवत्ता

*52. श्री अरविंद गणपत सावंतः

श्रीमती भारती पारधी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को यह जानकारी है कि इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मोड के तहत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता खराब है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) ईपीसी मोड के तहत निर्धारित दोष दायित्व अवधि क्या है और ये सड़कें कितनी अवधि में खराब हो गईं और इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार को कितना नुकसान हुआ;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने इस संबंध में ठेकेदारों की कोई जिम्मेदारी तय की है; और

(ङ.) यदि हां, तो ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और उन पर कितना जुर्माना लगाया गया और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

"ईपीसी मोड के तहत सड़कों की गुणवत्ता" के संबंध में श्री अरविंद गणपत सावंत और श्रीमती भारती पारधी द्वारा पूछे गए दिनांक 28.11.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *52 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का निर्माण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय / भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के विनिर्देशों और कोडों में निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाए। इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) परियोजनाओं की निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय और इसकी निष्पादन एजेंसियों द्वारा निर्माण स्थल पर दैनिक कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए परामर्शदाता (प्राधिकरण के अभियंता) नियुक्त किए जाते हैं। मंत्रालय की कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, सीमा सड़क संगठन, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लोक निर्माण विभाग/सड़क निर्माण विभाग/निगम, मंत्रालय की परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के अधिकारी तथा मंत्रालय के अधिकारी भी समय-समय पर निरीक्षण करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि रियायतग्राही द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप है। ऐसी जांच/पर्यवेक्षण के दौरान यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए रियायतग्राहियों/ठेकेदारों के ध्यान में लाया जाता है।

(ग) से (ङ) ईपीसी मोड पर निष्पादन के लिए एनएच कार्यों के लिए मानक ईपीसी समझौते के प्रावधानों के अनुसार, दोष देयता अवधि (डीएलपी) लचीले फुटपाथ के साथ निर्मित सड़क के पूरा होने की तारीख से 5 वर्ष है और स्थायी डिजाइन का उपयोग करके कठोर फुटपाथ या लचीले फुटपाथ के साथ निर्मित सड़क के पूरा होने की तारीख से 10 वर्ष है। सभी एकल संरचनाओं जैसे पुलों/सुरंगों तथा उन खंडों के मामले में जहां नई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है, डीएलपी की अवधि पूरा होने की तारीख से 10 (वर्ष) है। इसके अलावा, ऐसे खंडों के लिए जिनमें बिटुमिनस कंक्रीट (बीसी) परत के नवीनीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें संपूर्ण बीसी परत की हॉट-इन-प्लेस रिसाइक्लिंग का उपयोग किया जाता है या 40 मिमी मोटाई की एक नई बीसी परत उपलब्ध कराई जाती है और ऐसे खंडों में जहां बीएम/डीबीएम और बीसी की परत बिछाने के माध्यम से चालन गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता होती है, वहां डीएलपी की अवधि पूरा होने की तारीख से 3 वर्ष है। मंत्रालय की निष्पादन एजेंसियों के अधिकारी और प्राधिकरण के अभियंता (एई) कार्यान्वयन अवधि और डीएलपी के दौरान नियमित आधार पर निरीक्षण करते हैं; दोषों (यदि कोई हो) को नोटिस जारी करने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर या निष्पादन एजेंसी या एई द्वारा निर्धारित किसी भी उचित अवधि के भीतर सुधार के लिए ठेकेदारों के ध्यान में लाया जाता है। किसी भी चूक के मामले में चूककर्ता एजेंसियों के खिलाफ संविदा करार के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

कार्यान्वयन अवधि/डीएलपी के दौरान ईपीसी मोड में शुरू की गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में सहायक अभियंता या निष्पादन एजेंसियों द्वारा अधिसूचित प्रमुख कमियों का परियोजना-वार विवरण तथा पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निर्धारित उत्तरदायित्व और लगाए गए जुर्माने (जहां भी लागू हो) सहित की गई कार्रवाई का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

"ईपीसी मोड के तहत सड़कों की गुणवत्ता" के संबंध में श्री अरविंद गणपत सावंत और श्रीमती भारती पारधी द्वारा पूछे गए दिनांक 28.11.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *52 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

कार्यान्वयन अवधि/डीएलपी के दौरान ईपीसी मोड में शुरू की गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में सहायक अभियंता या निष्पादन एजेंसियों द्वारा अधिसूचित प्रमुख कमियों का परियोजना-वार विवरण तथा पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निर्धारित उत्तरदायित्व और लगाए गए जुर्माने (जहां भी लागू हो) सहित की गई कार्रवाई:

राज्य	क्र. सं.	परियोजना का नाम	एनए च नं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ में)	क्षति/कमियों का विवरण	की गई कार्रवाई
आंध्र प्रदेश	1	एनएचडीपी चरण III के तहत ईपीसी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच- 9 के विजयवाड़ा - मछलीपट्टनम खंड को किमी 0.000 से किमी 63.800 तक (लगभग लंबाई 64.611 किमी) 4 लेन का बनाया जाना	65	64.611	740.70	(i) ईस्ट साइड बैंज सर्किल फ्लाईओवर पर नम्य फुटपाथ में सतह का असमतल होना (ii) एचटीएमएस	(i) डीएलपी अवधि को कमियों के सुधार तक बढ़ा दिया गया है। (ii) ईपीसी संविदाकार ने सीआरआरआई, नई दिल्ली द्वारा सुझाई गई सुधार पद्धति के अनुसार सतह के असमतलीकरण का सुधार कार्य पूरा कर लिया है। (iii) संविदाकार ने एचटीएमएस का जीर्णोद्धार कार्य शुरू कर दिया है।
	2	इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच- 214 (एनएच 216) के किमी 127/500 से किमी 136/520 तक डिंडी-दिगामारु खंड और एनए च 214 (एनएच 216) के किमी 0/000 से किमी 32/900 तक दिगामारु-लोसारी खंड का पेव्ड शोल्डर्स के साथ दो लेन का पुनर्स्थापन और उन्नयन।	216	42.12	316.06	सीमेंट कंक्रीट कोर (पीक्यूसी) चेनेज किमी 25/010, 25/082, 25/045 बिटुमिनस कोर (डीबीएम+बीसी) चेनेज 130/175-130/165 बिटुमिनस कोर (डीबीएम+बीसी) चेनेज 8/335, 8/345, 8/350	चिन्हित कमियों को संविदाकार ने अपने खर्च पर ठीक किया। इसके अलावा कार्य की खराब गुणवत्ता के कारण स्टेज भुगतान से एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा उसे काट लिया गया।
बिहार	3	मुंगेर घाट पर गंगा नदी पर रेल सह सड़क	333 बी	14.517	227.77	गड्ढे और जल ठहराव	संविदाकार ने कमियों को सुधारने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़	4	एनएच-200 (नया एनएच - 130) के सिमगा-सरगांव खंड को किमी 48+580 से किमी 91+026 तक 4 लेन का बनाया जाना	नया 130	42.446	829.13	148 सीमेंट कंक्रीट पैनलों में दरार	ईपीसी संविदाकार के जोखिम और लागत पर पैनल सुधार के लिए कार्रवाई की गई।
	5	ईपीसी मोड के तहत एनएच-200 (नया एनएच- 130) के सरगांव-बिलासपुर खंड को किमी 91+026 से किमी 126+525 तक 4 लेन का बनाया जाना	नया 130	35.499	676.44	किमी 91, 96, 101, 102 और 106 पर सीमेंट कंक्रीट पैनल और ई. आर. दीवार में दरारें उभरी हुई हैं।	ईपीसी संविदाकार ने साइट पर सुधार कार्य शुरू कर दिया है।
	6	एनएच-200 (नया एनएच-30) के रायपुर- सिमगा खंड पर किमी 0+000 से किमी 48+580 तक रायपुर-बिलासपुर (पैकेज-1) खंड का 4/6 लेन का बनाया जाना	30	48.58	1166	पीक्यूसी पैनलों में दरारें देखी गईं	ईपीसी संविदाकार द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर पीक्यूसी पैनलों को प्रतिस्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
हरियाणा	7	हीरो होंडा चौक पर फ्लाईओवर और अंडरपास	48	1.4	138.07	डेक स्लैब से कंक्रीट के टुकड़े का उखड़ना	संविदाकार के दिवालिया होने के कारण, एनएचएआई ने अनुबंध समाप्त कर दिया और मूल संविदाकार के जोखिम और लागत पर रखरखाव का काम दूसरी एजेंसी को सौंप दिया। मई, 2024 में, डेक स्लैब का कुछ हिस्सा उखड़ गया था। कंक्रीट के उखड़ने के कारणों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था । एनएचएआई ने संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट के लिए विशेष एजेंसी नियुक्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
	8	दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे पैकेज 2	एनई-4	28.5	1094	रटिंग	रखरखाव में विलंब के लिए संविदाकार पर 40.55 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है । गड्ढों को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अधिकांश गड्ढों को ठीक कर दिया गया है। साथ ही, दोषों के स्थायी सुधार के लिए विस्तृत अध्ययन और सुझाव देने के लिए आईआईटी खड़गपुर को भी लगाया गया है।

	9	दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे पैकेज 3	एनई-4	31.8	780.88	रटिंग	रखरखाव में देरी के लिए संविदाकार पर 35.90 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है । गड्ढों को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अधिकांश गड्ढों को ठीक कर दिया गया है। साथ ही, दोषों के स्थायी सुधार के लिए विस्तृत अध्ययन और सुझाव के लिए आईआईटी खड़गपुर को भी लगाया गया है।
गुजरात	10	गुजरात राज्य में एनएच-48 (पुराना एनएच-80) के उम्भेल गांव के पास भरूच-सूरत खंड पर किमी 258.858 के चैनेज जिसे ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है पर आरई दीवार, सर्विस रोड और नाले सहित छह लेन के फ्लाईओवर/वीयूपी का निर्माण, आईडी संख्या जीजे-02-54	48	0.9	26.76	कार्यों की खराब गुणवता	अनुबंध दायित्वों को पूरा न करने पर जुर्माना लगाया गया है
झारखंड	11	एनएच 75 के कचहरी चौक से बिजुपारा खंड के किमी 0.0 से किमी 34.00 तक को 4 का लेन बनाया जाना	75	34	235	पीक्यूसी पैनल, सवारी गुणवता, टोल प्लाजा निर्माण।	दोषों को ठीक न करने के कारण 11.79 करोड़ रुपये की निष्पादन बैंक गारंटी ले ली गई है।
कर्नाटक	12	होस्पेट -बेल्लारी-कर्नाटक/एपी सीमा किमी.280.080 से किमी.375.450 तक	63	95.37	870	पीक्यूसी में 8.30 किमी तक दरारें बन गई हैं।	समाप्त की गई परियोजना को मार्च, 2023 में विषयगत परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए पुनः प्रदान किया गया है, जिसकी समाप्ति तिथि (मई, 2023) से 2 वर्ष की अवधि होगी। खराब गुणवत्ता वाले कार्यों (क्षतिग्रस्त पीक्यूसी) की मरम्मत और सुधार की लागत को वर्तमान अनुबंध में शामिल किया गया है, जिसे पहले ही पिछले संविदाकार से वसूल किया जा चुका है।
	13	हुबली - होस्पेट खंड को 4 लेन का बनाया जाना	67 (पुराना एनएच -63)	143.721	1334.70	पीक्यूसी फुटपाथ पर दरारें और फुटपाथ पर अनुदैर्ध्य जोड़ों का चौड़ा होना	संविदाकार ने क्षति की मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
महाराष्ट्र	14	बोधवाड - मुक्ताईनगर - बरहानपुर सड़क खंड - II किमी 44/760 किमी.78/145।	753एल	33.385	178.26	टूटे हुए पैनल	संविदाकार ने नुकसान की भरपाई के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएलपी अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी गई है।
	15	खंड-II कोल्डे से खेतिया रोड किमी.50+200 से 98+800	752जी	48.6	509.18	टूटे हुए पैनल	संविदाकार ने क्षति की मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

	16	मेहकर-अजीसपुर रोड	548 सी	35.836	230.2	टूटे हुए पैनल	निष्पादन बैंक गारंटी जब्त कर ली गई है। नुकसान की भरपाई के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
	17	भोकर-सरसम	161ए	33	295.09	टूटे हुए पैनल	संविदाकार ने क्षति की मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
	18	सिल्लोड-फरदापुर	753एफ	32.63	432.98	टूटे हुए पैनल	संविदाकार ने क्षति की मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
	19	परभणी से गंगाखेड़	752के	35.885	237.88(सीओएस 239.99 के बाद)	टूटे हुए पैनल	संविदाकार ने पैनल प्रतिस्थापन/सुधार कार्य निष्पादित कर दिया है।
	20	आमदी - साओनेर	753	39.58	396.91	टूटे हुए पैनल	संविदाकार ने क्षति की मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
	21	ईपीसी मोड पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में एनएच-160 के मौजूदा किमी 88.400 (सावली विहिर) से किमी 163.400 (अहमदनगर बाईपास की शुरुआत) (डिजाइन लंबाई - 75.000 किमी) तक के खंड का पेव्ड शोल्डर्स विन्यास के साथ चार लेन में उन्नयन।	160	75	418.2	कार्य की खराब एवं निम्न गुणवत्ता।	एनएचएआई ने ईपीसी अनुबंध समाप्त कर दिया है।
	22	ईपीसी मोड परियोजना पर महाराष्ट्र राज्य में एनएच-48 के (i) 381.000 किमी से 502.000 किमी तक मौजूदा बिटुमिनस कैरिजवे और सर्विस रोड पर व्हाइट टॉपिंग का निर्माण (ii) दिल्ली दरबार 499.150 किमी (20 मीटर x 5.5 मीटर) पर सर्विस रोड के साथ वीयूपी (iii) पांडुरंगवाड़ी 501.250 किमी (20 मीटर x 4.5 मीटर) पर सर्विस रोड के साथ वीयूपी (iv) सातिवाली 454.180 किमी (12 मीटर x 4.0 मीटर) पर सर्विस रोड के साथ एलवीयूपी और (v) सूरत-दहिसर खंड पर सुरक्षा उपाय।	48	121	553	सफेद टॉपिंग फुटपाथ में स्थानीय स्तर पर होने वाली खराबी जैसे दरारें, गड्ढे, टायर के निशान आदि	संविदाकार ने नुकसान की भरपाई के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है ।

राजस्थान	23	दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे एनई-4 पै.06	एनई-4	31.16	931	रिसाव, रेनकट, गड्ढे और जमाव	अनुबंध समझौते के प्रावधान के अनुसार निर्धारित समय सीमा में दोषों को ठीक न करने पर प्रत्येक संविदाकार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
	24	दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे एनई-4 पै.07		31.26	946		
	25	दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे एनई-4 पै.08		33.05	880.11		
	26	दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे एनई-4 पै.09		45.64	1258.1		
	27	भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में अमृतसर-जामनगर आर्थिक गलियारे के एक भाग के रूप में एनएच-754 के संगरिया (चौटाला के निकट) -रासीसर (बीकानेर के निकट) खंड के किमी 28+70 से किमी 53+0 तक 6-लेन पहुंच नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग का निर्माण परियोजना - चरण-I (एजे/एसआर-पैकेज-2)	754 के (नया : एनएच 754 ए)	24.300	575.00	कुछ स्थानों पर सवारी की गुणवत्ता में कमी और जमाव देखी गई	(i) संविदाकार पर 50.00 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया। (ii) खराब पर्यवेक्षण के कारण प्राधिकरण इंजीनियर टीम के दो प्रमुख कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया।
	28	दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे पै. 4	एनई-4	36.9	997.11	रिसाव और पहुंच के निकट जमाव	रखरखाव में देरी के कारण 1.06 करोड़ रुपये का हर्जाना लगाया गया है। साथ ही, दोषों के स्थायी सुधार के लिए विस्तृत अध्ययन के लिए आईआईटी खड़गपुर को नियुक्त किया गया है।
	29	दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे पै. 5	एनई-4	36.14	947	रिसाव, पहुंच मार्ग पर जमाव और आरई दीवार का उभार	रखरखाव में देरी के लिए 88.32 लाख रुपये का हर्जाना लगाया गया। सीआरआरआई के सुझावों के अनुसार आरई दीवार के उभार को ठीक कर दिया गया है। अधिकांश जमाव सुधार दिए गए हैं। इसके अलावा, दोषों के स्थायी सुधार के लिए विस्तृत अध्ययन के लिए आईआईटी खड़गपुर को लगाया गया है।
	30	भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में अमृतसर-जामनगर आर्थिक गलियारे के एक भाग के रूप में एनएच-754के के संगरिया (चौटाला के निकट) -रासीसर (बीकानेर के निकट) खंड के किमी 53+000 से किमी 88+000 तक 6-लेन पहुंच नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग का निर्माण परियोजना - चरण-I (एजे/एसआर-पैकेज-3)	754 के (नया : एनएच 754 ए)	35,000	504.89	मीटर सिंगल स्पैन ट्रस ब्रिज की लॉन्चिंग के दौरान नोज़ स्ट्रक्चर में विफलता	संविदाकार पर 1.00 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति में उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। निर्माण टीम और डिजाइनर टीम पर 02 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया। प्राधिकरण इंजीनियर पर 20 लाख रुपये का जुर्माना तथा भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। एनएचएआई कार्यों में प्राधिकरण इंजीनियर द्वारा तैनात वरिष्ठ पुल इंजीनियर को 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।

	31	दिल्ली-वडोदरा ग्रीनफील्ड संरेखण (एनएच-148एन) (पै.-16) (चै. 427.300 से चै.452.420) [नयागांव के पास जागीर गांव से राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा तक टाकली नदी पर प्रमुख पुल]	एनई-4	25.125	613.79	यह खंड 30.11.2023 से चालू है और कुछ स्थानों पर संरचना के पहुंच मार्ग पर जमाव देखी गई है	ईपीसी संविदाकार ने क्षति की भरपाई कर दी है।
	32	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच 65 पर मौजूदा किमी 166/260 से किमी 180/500 तक नागौर बाईपास का निर्माण	65	19.225	155.76	असमान सवारी सतह	संविदाकार ने कंक्रीट फुटपाथ के ऊपर 10.25 किलोमीटर तक बिटुमिनस पथ बिछाया है।
उत्तर प्रदेश	33	लखनऊ रिंग रोड पै.-3ए	लखनऊ रिंग रोड	14.618	292.07	2.886 किमी लंबाई में पीक्यूसी पैनल में दरारें	संविदाकार ने क्षति की मरम्मत के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।
	34	उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-76 (कालूपुर - लालता रोड) के किमी 285.000 से 326.000 तक ईपीसी मोड पर पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का पुनर्स्थापन और उन्नयन	76	41	240.13	कठोर फुटपाथ में दरारें	डीएलपी के दौरान पाए गए दोषों के सुधार तक दोष देयता अवधि बढ़ा दी गई है। मंत्रालय द्वारा नियुक्त गुणवत्ता लेखा परीक्षक ने दोषों के सुधार के लिए कार्यप्रणाली का सुझाव दिया है।
	35	उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-76 (कबरई -बांदा रोड) के किमी 178.000 से 215.000 तक ईपीसी मोड पर पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का पुनर्स्थापन और उन्नयन	76	37	215.16	कठोर फुटपाथ में दरारें	डीएलपी के दौरान पाए गए दोषों के सुधार तक दोष देयता अवधि बढ़ा दी गई है। मंत्रालय द्वारा नियुक्त गुणवत्ता लेखा परीक्षक ने दोषों के सुधार के लिए कार्यप्रणाली का सुझाव दिया है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	36	एनएच-74 के हरिद्वार-नगीना खंड को 4 लेन का बनाना	34 एवं 734 (पुराना एनएच-74)	66.916	1659.12	पीक्यूसी पैनल में दरारें	संविदाकार ने क्षति की मरम्मत के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	37	एनएच-74 के नगीना-काशीपुर खंड को 4 लेन का बनाना	734 (पुराना एनएच-74)	98.793	2535.54	पीक्यूसी पैनल दरारें, गड्ढे, सड़क संकेत, रेन कट आदि	ईपीसी अनुबंध समझौते की अनुसूची-एम के अनुसार संविदाकार से वसूली शुरू की गई।

पश्चिम बंगाल	38	पश्चिम बंगाल राज्य में चिचरा से खड़गपुर किमी 185.150 से किमी 134.400 तक एनएच-6 को पेव्ड शोल्डर सहित चार लेन का बनाना, जिसमें किमी 134.400 से किमी 129.600 तक मौजूदा चार लेन का पुनरुद्धार भी शामिल है।	6 (नया एनएच-49)	55.52	613.08	पीक्यूसी पैनलों में दरारें	ईपीसी संविदाकार के जोखिम और लागत पर मरम्मत की गई।
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	39	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में ईपीसी मोड पर एनएच-4 के अंडमान ट्रंक रोड में किमी 181.00 से किमी 206.00 खंड का हार्ड शोल्डर सहित इंटरमीडिएट लेन में पुनर्वास (कुल लंबाई 25.00 किमी) (पैकेज-VII)	4	25	53.96	आपदा, विभिन्न स्थानों पर फुटपाथ का धंसना	ईपीसी संविदाकार के जोखिम और लागत पर मरम्मत कार्य करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

*****